निगरानी 819-PBR-15

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- /2015/निगरानी

एस॰ एल॰ धाकड़ एड॰
द्वारा आज दि. 17-4-15 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 17-4-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

घनश्याम पुत्र मंशाराम मिर्धा, (कोटवार), आयु-50वर्ष, व्यवसाय-कोटवार, निवासी-ग्राम गोवरा तहसील डबरा जिला ग्वालियर (म0प्र0) ---आवेदक

बनाम

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर (म0प्र0)
2. गोपाल पुत्र श्री बादाम सिंह, निवासी-ग्राम गोवरा तहसील डबरा जिला ग्वालियर (म0प्र0)

S.L.Dhakad Adv.
17/4/15

-----अनावेदकगण

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 30.08.2014 पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी डबरा जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक-639/12-13/अपील।</u>

17/4/015

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-</u>

1- यहकि, आवेदक ग्राम गोवरा का 25वर्ष से कोटवार के पद पर कार्य करता चला आ रहा हैं, वर्तमान में भी कार्यरत हैं।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 819–पीबीआर/2015 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–06–15	आवेदक एवं शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह निगरानी इस न्यायालय में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–14 के विरूद्ध दिनांक 17–4–2015 को पॉच माह के भी अधिक के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । 2– अपर आयुक्त के आदेश की सत्यप्रतिलिपि को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 26–11–14 को ही नकल प्राप्त कर ली गई है और दिनांक 26–11–14 को नकल प्राप्त करने के पश्चात् भी लगभग 5 माह पश्चात् निगरानी प्रस्तुत की गई है, और 5 माह के विलम्ब का कारण आवेदक के दूर–दराज रहने एवं अशिक्षित होना दर्शाया गया है । चूँकि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अभिभाषक नियुक्त किया गया है इसलिये विलम्ब क्षमा करने का उपरोक्त कारण समाधानकारक नहीं है। अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य प्रस्तुत किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	

कार्यरत हैं।